बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संकल्प

संचिका सं0–15/विविध जाँच (गोपालगंज) 07–36/2024–.....(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–.....

राजेन्द्र नगर, बस स्टैण्ड, गोपालगंज की जमीन का भू–माफियाओं द्वारा ज़मांबंदी कराये जाने संबंधी दो न्यूज पेपर की कटिंग के आधार पर विभागीय पत्रांक–2079(15) दिनांक–20.09.2024 द्वारा मामले की जॉच हेतु वरीय पदाधिकारियों की टीम बनाकर विस्तृत जाँच कर जाँच प्रतिवेदन भेजने के निदेश के आलोक में समाहर्त्ता, गोपालगंज के पत्रांक–3563/रा0 दिनांक–23.09.2024 द्वारा जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया। साथ ही साथ मो0 गुलाम सरवर, अंचल अधिकारी, गोपालगंज सदर के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 (2)/316 (15)/388/336(3)/340(2)/3(5) के तहत प्राथमिकी सं0–673/2024 दिनांक–18.09.2024 दर्ज करायी गई।

2. उक्त के आलोक में विभागीय संकल्प सं0–2197(15) दिनांक–21.10.2024 द्वारा अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार मो0 गुलाम सरवर, अंचल अधिकारी, गोपालगंज सदर को जाँचोपरान्त प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।

3. आरोपी पदाधिकारी मो0 सरवर के विरूद्ध समाहर्त्ता, गोपालगंज के पत्रांक–959/स्था0 दिनांक–30.09.2024 द्वारा प्राप्त आरोप पत्र के आधार पर आरोप पत्र को विभाग स्तर पर पुनर्गठित करते हुए विभागीय पत्रांक–2371 (15) दिनांक–02.12.2024 द्वारा मो0 सरवर से गठित आरोपों के संदर्भ में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–17(4) के तहत लिखित अभिकथन/स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में मो0 सरवर द्वारा स्पष्टीकरण दिनांक–24.04.2025 से विभाग में समर्पित किया गया।

4. आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों एवं मो0 सरवर से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प सं0–1244(15) दिनांक–15.07.2025 द्वारा मो0 सरवर के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में अंकित आरोपों की विस्तृत जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–17(2) के प्रावधानों के तहत अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गयी। इस अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन हेतु **अपर समाहर्त्ता, गोपालगंज** को जाँच/संचालन पदाधिकारी तथा **भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोपालगंज** को उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

5. तदोपरान्त आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त अभ्यावेदन के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त अनुशासनिक कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना विभागीय संकल्प सं0–1782(15) दिनांक–26.09.2025 द्वारा निलम्बन मुक्त किया गया।

6. संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता, गोपालगंज के पत्रांक–1559, दिनांक–24.06.2026 द्वारा मो0 सरवर के विरूद्ध संचालित अनुशासनिक कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया जिसमें सभी आरोपों को प्रमाणित अंकित किया गया है।

7. आरोपी पदाधिकारी से प्रमाणित आरोपों के संदर्भ में विभागीय पत्रांक–852(15) दिनांक–17.06.2026 से अभ्यावेदन/निवेदन की मांग की गयी, जिसके आलोक में मो0 सरवर द्वारा अपना अभ्यावेदन/निवेदन (द्वितीय कारण पृच्छा) दिनांक–21.08.2026 से विभाग को समर्पित किया गया।

8. आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं प्रमाणित आरोपों के संदर्भ में आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त अभ्यावेदन/निवेदन(द्वितीय कारण–पृच्छा) के अवलोकन/समीक्षोपरान्त पाया गया कि राजेन्द्र बस स्टैंड की जमीन की अवैध एवं कपटपूर्ण तरीके से जमाबंदी कायम करने एवं गैरमजरूआ खाते की भूमि का दाखिल–खारिज की स्वीकृति दिए जाने के लिए दोषी हैं। आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने स्पष्टीकरण में इसके लिए राजस्व कर्मचारी एवं अमीन के प्रतिवेदन को जबावदेह कारण के रूप में दर्शाते हुए अपने अधीनस्थ कर्मियों पर दोषारोपण करते हुए अपने पदीय उत्तरदायित्व एवं कर्त्तव्य से विमुख होने का प्रयास किया गया है, जो स्वीकार योग्य नहीं है। एक अंचल अधिकारी की हैसियत से आरोपों पदाधिकारी को आँख मूंदकर केवल राजस्व कर्मचारी/अमीन के प्रतिवेदन/अनुशंसा के आधार पर ही परिमार्जन/दाखिल–खारिज की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए थी, बल्कि अभिलेखीय/स्थलीय साक्ष्यों/तथ्यों की जाँच–पड़ताल करते हुए परिमार्जन / दाखिल–खारिज की स्वीकृति दी जानी चाहिए थी। मामला संज्ञान में आने पर जमाबंदी रद्दीकरण करने हेतु प्रस्ताव भेजे जाने मात्र से आरोपी पदाधिकारी का दोष समाप्त नहीं हो जाता है। आरोपी पदाधिकारी द्वारा यदि अपने अधीनस्थ राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के कार्यों का समुचित अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण किया गया होता तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। इस स्तर पर आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने पदीय उत्तरदायित्व एवं कर्त्तव्य के प्रति शिथिलता, उदासीनता एवं लापरवाही बरती गई है अथवा अपने निजी स्वार्थवश किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से यह चूक की गई है।

राजेन्द्र नगर बस स्टैण्ड की भूमि का अवैध जमाबंदी सृजन का तथ्य प्रकाश में आने के उपरांत संयुक्त जांच कमिटी के द्वारा प्रस्तुत जांच एवं संलग्न साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि कूटरचित जमाबंदी सं0–792 के सृजन के संबंध में अंचल अधिकारी, गोपालगंज द्वारा अपने पत्रांक–3085 दिनांक–14.09.24 से समाहर्त्ता, गोपालगंज को संसूचित किया गया है, जबकि प्रश्नगत राजेन्द्र बस स्टैण्ड, गोपालगंज की भूमि की अवैध जमाबंदी दिनांक–02.09.24 को सृजित है। साथ ही यह भी विचारणीय है कि यदि प्रश्नगत भूमि की कूटरचित जमाबंदी सं0–792 के सृजन की जानकारी यद्यपि पूर्व से आरोपी अंचल अधिकारी को थी तो फिर राजेन्द्र बस स्टैण्ड, गोपालगंज की भूमि की अवैध जमाबंदी दिनांक–02.09.2024 को सृजित करने की स्वीकृति कैसे दी गयी?

त्रि–सदस्यीय पदाधिकारियों द्वारा समाहर्त्ता, गोपालगंज को पत्रांक–3558/2024 दिनांक–21.09.2024 से समर्पित संयुक्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में नगर परिषद गोपालगंज के अधीन बस स्टैण्ड के रूप में व्यवहृत प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी का सृजन किसी व्यक्ति विशेष के नाम से सुनियोजित एवं चरणबद्ध तरीके से किये जाने के आरोप में संबंधित आरोपियों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं के अधीन प्राथमिकी दर्ज करायी गयी।

आरोपी अंचल अधिकारी द्वारा स्वंय स्वीकार किया गया है कि तथ्यों की जानकारी होने पर उनके द्वारा जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0–45/2024–25 का संधारण कर अपर समाहर्त्ता, गोपालगंज के न्यायालय में भेजा गया है अर्थात स्पष्ट है कि अंचल अधिकारी द्वारा अभिलेखीय साक्ष्यों एवं स्थलीय दखल कब्जा का सूक्ष्मता से जांच किये बगैर परिमार्जन प्लस के माध्यम से अजय दबे के पक्ष में जमाबंदी सृजन की कार्रवाई की गयी। परिमार्जन की स्वीकृति से पूर्व यदि अंचल अधिकारी द्वारा प्रश्नगत भूमि का स्थल निरीक्षण किया गया होता तो उक्त भूमि से सैकड़ों सरकारी एवं निजी वाहनों का दैनिक रूप से परिचालन होने तथा बस स्टैण्ड एवं उसके सम्मुख बने दूकानों की डाक नगर परिषद, गोपालगंज द्वारा किये जाने का तथ्य दृष्टिगत होता तथा अजय दूबे के द्वारा षड्यंत्र के तहत जमाबंदी सृजित कराये जाने का कृत्सित प्रयास प्रकट हो गया होता। अंचल अधिकारी, गोपालगंज द्वारा स्वंय अपने जमाबंदी रद्दीकरण अभिलेख में बस स्टैण्ड की भूमि मूल काश्तकार से अधिग्रहित किये जाने का तथ्य वर्णित किया गया है तथा कूट रचना कर श्री अजय दूबे

के पक्ष में जमाबंदी सृजित करने/जमाबंदी पंजी का पृष्ठ बदले जाने का उल्लेख किया गया है, जिस प्रकरण में स्थानीय थाना में नगर परिषद, गोपालगंज के द्वारा प्राथमिकी भी दर्ज करायी गयी है। अपर समाहर्त्ता, गोपालगंज के न्यायालय के जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0–1323/24–25 के माध्यम से पारित आदेश दिनांक 11.11.2025 में संदर्भित फर्जी जमाबंदी को रद्द करते हुए आदेश की प्रति भूमि सुधार सुधार उप समाहर्त्ता, गोपालगंज को ज्ञापांक–598/न्या० दिनांक 11.11.2025 द्वारा संसूचित है। उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में आरोपी पदाधिकारी का अभ्यावेदन / निवेदन (द्वितीय कारण पृच्छा) स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

तदोपरान्त आरोपी पदाधिकारी का अभ्यावेदन/निवेदन (द्वितीय कारण पृच्छा) स्वीकार योग्य नहीं होने तथा मामला अति गंभीर प्रकृति का होने के फलस्वरूप अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा मो0 सरवर के विरूद्ध "संचयी प्रभाव के साथ 05(पाँच) वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड" अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

9. अतएव आरोप पत्र में अंकित आरोपों एवं संचालित अनुशासनिक कार्यवाही में प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त अभ्यावेदन/निवेदन के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार मो0 गुलाम सरवर, तत्कालीन अंचल अधिकारी, गोपालगंज सदर **सम्प्रति सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना** के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–14(vi) के तहत **"संचयी प्रभाव के साथ 05(पाँच) वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड"** अधिरोपित करते हुए अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(संजय कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–15/विविध जाँच (गोपालगंज) 07–36/2024–.....(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–.....

स्पीड–पोस्ट
ई–मेल

प्रतिलिपि :– निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, पटना/समाहर्त्ता, गोपालगंज/कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, पटना /प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना **(मूल प्रति में)**/मो0 गुलाम सरवर, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(संजय कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–15/विविध ज़ाँच (गोपालगंज) 07–36/2024–2067.....(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–05/11/2026

प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3/आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3 से अनुरोध है कि उक्त दण्ड की प्रविष्टि **मो0 सरवर** के सेवापुस्त में कराते हुए प्रशाखा–15 को अवगत कराने की कृपा की जाए।

04/11/26
(संजय कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।